रेलवे भर्ती कक्ष
उत्तर पश्चिम रेलवे

पावर हाउस रोड, मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय के सामने,
जयपुर–302006

वर्ष 2018–19 के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे पर स्काउट एवं गाईड कोटे के तहत भर्ती हेतु केन्द्रीयकृत अधिसूचना

विस्तृत अधिसूचना

रोजगार सूचना सं. 02/18 (एसएण्डजी/आर.आर.सी/उ.प.रे.)
आवेदन की तिथि – 30.10.2018
आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख : 30.11.2018 समय : 17.30 बजे तक

वर्ष 2018–19 के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के स्काउट एवं गाइड कोटा (लेवल–1 के लिए 8 पद एवं लेवल–2 के लिए 2 पद) के कुल 10 पदों को भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। **जो उम्मीदवार स्काउट एवं गाईड की योग्यता रखते हैं, वे ही आवेदन कर सकते हैं।** लेवल–2 (समूह 'ग' छठा वेतनमान पे बेण्ड –। रु. 5200–20200 ग्रेड पे–1900/–) तथा लेवल–1 (पूर्व में समूह 'घ' छठा वेतनमान **पे बेण्ड–।** रु. 5200–20200 ग्रेड पे–1800/–) पदों के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, जैसा कि नीचे दिया गया है, **सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती), रेलवे भर्ती कक्ष, उत्तर पश्चिम रेलवे, पावर हाउस रोड, डीआरएम ऑफिस के सामने, जयपुर** 302006 को केवल साधारण डाक (कुरियर डाक/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी) द्वारा अलग–अलग भेजी जाए या रेलवे भर्ती कक्ष, के कार्यालय में रखें हुए **"आवेदन–पत्र बॉक्स"** में अन्तिम तिथि अर्थात् 30.11.2018 को 17.30 बजे तक डाल दिये जाए। आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल के लाहोल व स्पिति जिले, चम्बा जिले के पंगी उप मंडल, अंडमान, निकोबार लक्षद्वीप टापुओं के निवासियों तथा विदेश मे रहने वालो के लिए साधारण डाक से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 17.12.2018 को 17.30 बजे तक होगी। **अन्तिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

1. भरी जाने वाली रिक्तियों का विवरण

कम सं.	पद	पे बैण्ड एवं ग्रेड पे	पदों की संख्या	पदों का वितरण
1	लेवल–2	लेवल–2 (छठे वेतनमान पे बैण्ड–1 रू. 5200–20200 + 1900/– ग्रेड पे) ग्रुप 'सी' गैर तकनीकि लोकप्रिय श्रेणी	02 (दो)	मुख्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे पर
2	लेवल–1	लेवल–1 (छठे वेतनमान पे बैण्ड–1 रू. 5200–20200 + 1800/– ग्रेड पे) तकनीकि/गेर तकनीकि	08 (आठ)	उत्तर पश्चिम रेलवे के चारो मंडलों –अजमेर, बीकानेर, जयपुर एवं जोधपुर प्रत्येक के लिए 02–02 पद

नोटः– (I) उम्मीदवारों को लेवल–1 (ग्रेड पे 1800/–) एवं लेवल–2 (ग्रेड पे 1900/–) के लिए अलग अलग आवेदन करना है।
(II) उक्त रिक्तियाँ सभी समुदायों के लिए खुली है एवं किसी भी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

2. पात्रता की शर्तें :

2.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :

क्रम स.	पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1.	लेवल–2	12th (+2stage) or equivalent examination with not less than 50% marks in the aggregate. 50% marks in the aggregate will be required for NTPC categories. 50% marks is not required for SC/ST/Ex-servicemen candidates and candidates who possess higher qualification like Graduation/Post Graduation)
2	लेवल–1	(i) 10th pass from a recognized Board with National Apprenticeship Certificate granted by NCVT or 10th pass from a recognized Board with ITI for appointment in Civil Engineering, Mechanical, Electrical, S&T and Catering departments. (ii) 10th pass or ITI or equivalent from a recognized Board for appointment in other departments.

2.2 स्काउट्स एवं गाईडस योग्यताए:– (लेवल–1 एवं लेवल–2 दोनों के लिए)

अ) किसी भी सेक्शन में प्रेसीडेंट स्काउट/गाईड/रेंजर या हिमालयी वुड बैज (एचडब्लयूबी) धारी,

ब) पिछले पांच वर्षो से स्काउट संगठन का सक्रिय सदस्य होना चाहिए " सक्रियता का प्रमाण पत्र" संलग्न अनुलग्नक–8 के अनुरूप होना चाहिए, और

स) राष्ट्रीय स्तर या अखिल भारतीय रेलवे स्तर पर दो आयोजनों और राज्य स्तर पर दो आयोजनों अनुलग्नक–9 के अनुरूप में उपस्थित होना चाहिए।

नोटः– अधिसूचना के पैरा 11 के अनुसार अतिरिक्त प्रमाण पत्र संलग्न करने पर अंक दिये जाएगें।

3. आयु सीमा

3.1 लेवल–2 के लिए :–

आयु समूह	अधिकतम जन्मतिथि			न्यूनतम जन्मतिथि सभी के लिए	रिमार्क्स
	अनारिक्षत	अपिव	अजा/अजजा		
18 से 30 (अनारिक्षत के लिए) साथ ही 5 वर्ष अजा/अजजा के लिए, 3 वर्ष अपिव के लिए	01–01–1989	01–01–1986	01–01–1984	01–01–2001	नीचे दिये गए पैरा 4.1 से 4.5 तक उल्लेखित कोटियों के लिए आयु में छूट जैसा कि प्रत्येक के सामने उल्लेख किया गया है, लागू होगी।

3.2 लेवल–1 के लिए :–

आयु समूह	अधिकतम जन्मतिथि			न्यूनतम जन्मतिथि सभी के लिए	रिमार्क्स
	अनारिक्षत	अपिव	अजा/अजजा		
18 से 33 (अनारिक्षत के लिए) प्लस 5 वर्ष अजा/अजजा के लिए, 3 वर्ष अपिव के लिए	01–01–1986	01–01–1983	01–01–1981	01–01–2001	नीचे दिये गए पैरा 4.1 से 4.5 तक उल्लेखित कोटियों के लिए आयु में छूट जैसा कि प्रत्येक के सामने उल्लेख किया गया है, लागू होगी।

नोटः–1. उम्मीदंवारों की जन्मतिथि उपर्युक्त सारणी 3.1 व 3.2 में दी गई तिथियों के बीच मे होनी चाहिए (दोनो तिथियां शामिल है)

2. जन्म तिथि के लिए 10वीं/मैट्रिक प्रमाण पत्र/समकक्ष शैक्षणिक प्रमाण पत्र/शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि दर्शायी गई हो, अनिवार्य है अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

* न्यूनतम एवं उपरी आयु सीमा 01.01.2019 से गणना की जाएगी।

4 **आयु में छूट :**

ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट है।

4.1 भूतपूर्व सैनिकों के लिए, रक्षा विभाग में की गई सेवा +3 वर्ष, बशर्ते कि उन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात् 6 माह से अधिक की सेवा कर ली हो।

4.2 उन उम्मीदवारों को **पांच वर्ष** तक की छूट है जो 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य में सामान्य रूप से रहे थे।

4.3 **सामान्य दिव्यांग उम्मीदवार को दस वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवार को तेरह वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के दिव्यांग उम्मीदवार को पंद्रह वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी।**

4.4 विधवा, तलाकशुदा महिलाएँ जो कि पति से कानूनी रूप से अलग हुई हैं और जिन्होंने दुबारा विवाह नहीं किया हो, को–सामान्य, अपिव, अजा/अजजा महिलाओं के लिए आयु सीमा में क्रमश : 35, 38 व 40 वर्ष तक छूट दी जाएगी ।

4.5 नैमित्तिक श्रमिक अथवा एवजी, यदि कोई रेलवे में कार्यरत हो, जिन्होंने न्यूनतम **तीन वर्ष** तक रेलवे में सेवा पूरी की हो, को उनके द्वारा की गई सेवा अवधि तक आयु में छूट दी जाएगी बशर्ते उनकी उम्र सामान्य वर्ग की दशा में 40 वर्ष, अपिव की दशा में 43 वर्ष तथा अजा/अजजा की दशा में 45 वर्ष से अधिक न हो । रेलवे संस्थान के अर्द्ध शासकीय कार्यालयों जैसे रेलवे कैन्टीन/रेलवे संस्थान और रेलवे सहकारी सौसाईटियों में कार्यरत उम्मीदवार, जिन्होंने **तीन वर्ष** की सेवा पूरी की हो, को उनके सेवा काल तक अधिकतम **पांच वर्ष** की छूट दी जाएगी।

5. **परीक्षा शुल्क :**

5.1 शुल्क देयः–

(I)	नीचे दिए गए उप पैरा (II) में उल्लेखित उम्मीदवारो के अलावा सभी उम्मीदवारों के लिए	रू. 500/– (रूपये पांच सौ मात्र), रू. 400/– वापसी के प्रावधान के साथ, उन्ही उम्मीदवारों को जो वास्तव में लिखित परीक्षा में शामिल हुए हो।
(II)	अजा/अजजा/भूतपूर्व सैनिक/ /महिलाएं/*अल्पसंख्यक / * * आर्थिक रूप से पिछडे एवं * * * दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए	रू. 250/– (रूपये दो सौ पचास मात्र) वापसी के प्रावधान के साथ, उन्ही उम्मीदवारों को जो वास्तव में लिखित परीक्षा में शामिल हुए हो।

* अल्पसंख्यक से मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्व, जैन एवं जौरास्ट्रियन (पारसी) से आशय है।

*** *आर्थिक रूप से पिछडे हुए उन उम्मीदवार से आशय है जिनकी परिवार की वार्षिक आय रू 50000 से कम है**

* * * विकलांगताः– जिन उम्मीदवारों की सम्बन्धित विकलांगता 40 से कम नहीं हो वे उम्मीदवार ही दिव्यांग उम्मीदवारों के रूप में आरक्षण के पात्र है।

5.2 उम्मीदवार के लेवल–2 तथा लेवल–1 दोनों पदों के लिए आवेदन करने की स्थिति में अलग–अलग आवेदन के लिए अलग–अलग परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

5.3 परीक्षा शुल्क केवल भारतीय पोस्टल आर्डर (आईपीओ) के रूप में **"सहायक कार्मिक अधिकारी(भर्ती), रेलवे भर्ती कक्ष, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर"** के पक्ष में **जयपुर** में देय होना चाहिए। (उपर्युक्त पैरा 5.1 में उल्लेखित उम्मीदवारों के अलावा परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस भुगतान/स्थान्तरण /उम्मीदवारी निरस्त हो जाने पर किसी भी स्थिति में समायोजन नहीं किया जाएगा)

5.4 रोजगार सूचना की इस विज्ञप्ति से पूर्व की दिनांक के जारी किए गए पोस्टल आर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन–पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

5.5 नकद/चैक/मनीआर्डर/डीडी/केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकिट के साथ प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

5.6 उम्मीदवार भारतीय पोस्टल आर्डर पर उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना नाम, पूरा पता लिखें।

5.7 परीक्षा शुल्क की निर्धारित राशि के भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न नहीं किए गए आवेदन पत्र को जहॉ कही अपेक्षित हो सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

5.8 परीक्षा शुल्क की छुट का दावा करने के लिए अल्पसंख्यक उम्मीदवार अनुलग्नक–7 में यथा उल्लेखित आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र सहित (गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर) "स्व घोषणा पत्र" आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।

5.9 आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवार की परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने के लिए, उन्हें अपने आवेदन पत्र के साथ अनुलग्नक–5 में दिए गए अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटर हैड पर उनकी सील/स्टाम्प पर आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।

5.10 आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारीः–

(i) जिलाधीश अथवा अन्य कोई राजस्व अधिकारी जो इनके स्तर का हो या तहसीलदार।

(ii) वर्तमान सांसद जो उनके (उम्मीदवार के) संसदिय क्षैत्र से चुने गये है।

(iii) बीपीएल कार्ड धारक या भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के प्रोग्राम के तहत अन्य कोई प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा आईजेडजेडएटी एमएसटी जारी की गई हो।

(iv) यूनियन मंत्री द्वारा देश के किसी भी रेलवे भर्ती कक्ष को देश के किसी भी उम्मीदवार के लिए प्रमाणित करे।

(v) वर्तमान राज्यसभा सांसद द्वारा अपने संसदिय क्षैत्र के किसी उम्मीदवार के लिए प्रमाणित करें।

5.11 नियमानुसार शुल्क में रियायत का दावा करने वाले उम्मीदवार धन वापसी के लिए आवेदन पत्र में उपलब्ध स्थान पर खाता संख्या व आईएफएससी कोड, बैंक का नाम तथा ब्रांच का उल्लेख करें।

नोटः– "शुल्क रियायत" का दावा करने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र की प्रति संलग्न करें।

6. समुदाय प्रमाण पत्र

6.1 स्काउट एवं गाईड कोटा के तहत पद सभी कोटियों के लिए खुले है और अजा/अजजा /अपिव कोटियों के उम्मीदवार जो स्काउट एवं गाईड कोटा के विरूद्व आवेदन कर रहे हैं उन्हें सामान्य खुले बाजार भर्ती में यथा स्वीकार्य आयु सीमा में रियायत दी जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को आरक्षित रोस्टर बिन्दु के विरूद्व लिया जायेगा।

6.2 जो उम्मीदवार अजा/अजजा व अपिव का होने का दावा कर रहे है, उन्हे कमशः अनुलग्नक 2 व 3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप (केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिए निर्धारित) सक्षम प्राधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है और इसकी स्व प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी है।

6.3 अपिव उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया जाए कि उम्मीदवार कीमी लेयर का नहीं है और प्रमाण पत्र पिछले एक वर्ष में जारी किया गया हो।

7. सेवारत कर्मचारी :

ऐसे उम्मीद्वार जो रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम सहित किसी भी केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग में कार्यरत हो, वे उचित माध्यम द्वारा आवेदन करें या विलम्ब से बचने के लिए नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण" पत्र सहित रेभक–उपरे को सीधा आवेदन कर सकते हैं। सम्बन्धित कार्यालय द्वारा आवेदन –पत्र को भेजने में किसी भी तरह विलम्ब के लिए रेलवे भर्ती कक्ष के कार्यालय में आववेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि को बढाया नहीं जाएगा। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अन्तिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8 सामान्य अनुदेशः–

8.1 किसी भी लेवल के लिए आवेदन करने से पूर्व, उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वह पात्रता के सभी मापदंड पूरा करता है/करती है। उम्मीदवार के पास आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मान्यता प्राप्त बोर्ड/एनसीवीटी से अपेक्षित शैक्षणिक/तकनीकि योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवार जो अपनी अन्तिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे है, वे आवेदन नहीं करें। उम्मीदवारों के अपेक्षित मापदंड पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में रेलवे भर्ती कक्ष, भर्ती प्रकिया के किसी भी स्तर पर उम्मीदवारों के आवेदन निरस्त कर सकता है, और यदि नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है, तो ऐसे उम्मीदवारों को सीधे ही सेवा से हटा दिया जाएगा।

8.2 ऐसे उम्मीद्वार जिन्हें सभी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती कक्ष की परीक्षाओं से वंचित कर दिया गया है या ऐसे उम्मीदवार जिन्हें एक विशेष अवधि के लिए वचित किया गया है और वह अवधि अभी तक पूरी नहीं हुई है ऐसे उम्मीदवार इस रोजगार सूचना के प्रत्युत्तर में आवेदन नहीं करें। उनकी उम्मीदवारी को भर्ती की किसी भी स्तर के दौरान जब भी पता चले निरस्त कर दिया जाएगा।

8.3 उम्मीदवारों को अपनी स्वयं की लिखावट मे आवेदन पत्र को भरना चाहिए और निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करे इसके साथ ही बांये हाथ के अगुंठे की छाप लगाए। आवेदन पत्रों को हिन्दी या अंग्रजी में भरें।

8.4 आवेदन अधिसूचना में दिये गये प्रारूप में तथा अच्छी गुणवता के ए4 साईज पेपर का होना चाहिए जिसे एक तरफ से ही प्रयोग करना है। समाचार पत्र की कटिंग को आवेदन पत्र के रूप में प्रयोग नहीं करें। बाजार से प्रिंट किये हुए आवेदन पत्र खरीदने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह आवेदन पत्र रोजगार सूचना में प्रकाशित निर्धारित प्रारूप के अनुरूप है। आवेदन पत्र एवं अनुलग्नक हमारी वेबसाईट www.rrcjaipur.in & www.nwr.indianrailways.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। रोजगार सूचना रेलवे भर्ती कक्ष, उपरे, जयपुर के कार्यालय के सूचना बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया गया है।

8.5 उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र को अन्तिम तिथि से पर्याप्त समय पहले भेजे। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवदेन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रेलवे भर्ती कक्ष, उत्तर पश्चिम रेलवे, किसी भी प्रकार के डाक विलम्बी/गलत विवरण चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर जो भी हो के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.6 उम्मीदवार को आवदेन पत्र में उपलब्ध कराये गये निर्धारित स्थान पर अंग्रेजी या हिन्दी में हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। आवेदन पत्र, उत्तर पत्रक, प्रश्न बुकलेट तथा अन्य स्थानों पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर समान होने चाहिए और चालू लिखावट में होने चाहिए और ब्लॉक/बडे अक्षरों या अलग–अलग अक्षरों (यदि हस्ताक्षर अंग्रेजी में हो) में नहीं होने चाहिए। आवेदन करते समय, लिखित परीक्षा के समय तथा दस्तावेज सत्यापन के समय अलग–अलग तरह या भाषा मे हस्ताक्षर करने के परिणाम स्वरूप उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

8.7 रेलवे भर्ती कक्ष द्वारा चयनित उम्मीदवार को रेलवे में नियुक्ति का किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

8.8 चयनित उम्मीदवारों को जहां कहीं पद विशेष के लिए प्रशिक्षण निर्धारित होगा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।

8.9 प्रारम्भिक नियुक्ति पर परिलब्धियां उस स्तर का न्यूनतम वेतन, साथ ही उस समय स्वीकार्य भत्ते होंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान लागू वृत्तिका का ही भुगतान किया जाएगा। उम्मीदवारों को जहां आवश्यक हो जामिनी जमा व क्षतिपूर्ति बॉड देना है।

8.10 अजा/अजजा वर्गो से सम्बन्धित उम्मीदवारों को यथा स्वीकार्य उन्हें निःशुल्क द्वितीय श्रेणी का रेलवे पास जारी किया जाएगा जब उन्हें लिखित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, बशर्ते कि वे वैघ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देते है।

8.11 चयनित पुरूष उम्मीदवार जो कि अन्तिम रूप से चयनित हो गये है वे रेलवे इंजीनियर्स " **प्रादेशिक सेना ईकाई**" में सकिया सेवा देने के भागीदार होंगें।

8.12 वर्तमान नियमानुसार रोजगार सूचना के निबन्धक व शर्तो में बाद में कोई परिवर्तन होता है तो वह वही रहेगा। रेलवे भर्ती कक्ष, को यथा आवश्यक लागू इस रोजगार सूचना के अन्तर्गत भर्ती के निबन्धनों व शर्तो में बाद मे किसी भी प्रकार के परिवर्तन/आंशोधन/परिवर्तन/रददकरण पर विचार करने/शामिल करने का अधिकार सुरक्षित है।

8.13 **किसी कॉलम को खाली नहीं छोडे, वो भी आवेदन को निरस्त करने का कारण बनता है। यदि कोई कॉलम/कॉलमों सम्बन्धित नहीं है तो उस कॉलम/उन कॉलमों में N.A. लिखें।**

8.14 नियुक्ति के लिए सभी दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना भी आवश्यक शर्त होगी। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

8.15 उम्मीदवार का चयन लेवल–2 के लिए हो जाने की स्थिति में, यदि उन्हें लिपिक कोटि में नियुक्ति दी जाती है तो उन्हें नियुक्ति की तिथि से दो साल की अवधि में अंग्रेजी टाईपिंग की न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति की दक्षता प्राप्त करनी होगी, इसके लिए उन्हें केवल तीन अवसर दिये जाएंगे। कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और असफल होने पर ऐसे उम्मीदवारों की सेवा सीधे ही समाप्त कर दी जाएगी।

8.16 लिखित परीक्षा की तिथि, स्थान व समय के संबंध में पात्र उम्मीदवारों को साधारण डाक द्वारा सूचित किया जाएगा। इसे हमारी वेबसाईट www.rrcjaipur.in & www.nwr.indianrailways.gov.in पर भी प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीदवार रेलवे भर्ती कक्ष की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। पात्रता, आवेदन पत्र की स्वीकार्य या निरस्त करना तथा स्थान का आवंटन से सम्बन्धित सभी मामलों में उत्तर पश्चिम रेलवे का निर्णय अन्तिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बाध्य कर होगा।

8.17 भर्ती प्रकिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारों को अल्पकालीन सूचना पर बुलाया जा सकता है।

9 **अनुलग्लक (स्व प्रमाणिक होने चाहिए)**

सभी अनुलग्नक हिन्दी या अंग्रेजी में ही होने चाहिए। यदि प्रमाण पत्र अंग्रेजी/हिन्दी में नहीं हो, तो स्वप्रमाणिक अनुदित रूपान्तरण (हिन्दी/अंग्रेजी में संलग्न किये जाए) बिना अपेक्षित अनुलग्नों के आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। नीचे दिये गये किसी भी अनुलग्नक को अलग से भेजा जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। निम्नांकित अनुलग्नक (स्व प्रमाणित) को संलग्नक में दिये गये अनुसार निर्धारित प्रारूप में (जहां कही लागू हो) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। आवेदन के संलग्न किये गये सभी दस्तावेजों के सत्यापन के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित किया जाएगा। विफल होने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

9.1 जन्म तिथि दर्शाने के लिए मेट्रिक/हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रति।

9.2 आवेदन किये जाने वाले पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता की स्वप्रमाणित फोटो प्रति।

9.3 अजा/अजजा उम्मीदवारों (जैसा कि अनुलग्नक 2 मे दिया गया है) तथा अपिव उम्मीदवारों (जैसा कि अनुलग्नक 3 मे दिया गया है) के मामले मे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रति।

प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सूची।

(1) जिलाधिकारी /अतिरिक्त दंडाधिकारी /कलैक्टर/ उप आयुक्त/ अतिरिक्त उप आयुक्त/उपकलैक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी दंडाधिकारी /शहरी दंडाधिकारी/उप मंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यकारी दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी दंडाधिकारी के पद से कम नही)

(2) मुख्य प्रेसिडेंसी दंडाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी दंडाधिकारी/ प्रेसिडेंसी दंडाधिकारी

(3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की श्रेणी से कम का न हो और

(4) उस क्षेत्र का उप मंडल अधिकारी जिसमे उम्मीदवार और उसका परिवार निवास करता है।

(5)प्रशासनिक सचिव या प्रशासक/विकाश अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)

9.4 संलग्नक– 4 मे दिये गये प्रोफार्मा मे नॉन क्रीमी लेयर स्तर के संबंध मे अपिव उम्मीदवारों से "स्वघोषणा पत्र"।

9.5 दिव्यांग व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रारूप मे प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रति (जैसा कि अनुलग्नक 6 मे दिया गया है)।

9.6 यदि उम्मीदवार रेलवे या सरकारी किसी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र उपकम मे पहले ही सेवारत हो तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र।

9.7 उम्मीदवार के किसी भी प्रकार के आयु में छूट का दावा करने की स्थिति मे अपेक्षित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रति।

9.8 आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारो के लिए परीक्षा शुल्क मे छूट के लिए संलग्नक–5 मे दिये गये अनुसार उपर्युक्त पैरा 5.10 मे उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी के लैटर हैड पर निर्धारित प्रारूप मे आय प्रमाण पत्र

9.9 अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारो के लिए परीक्षा शुल्क मे छूट के लिए "'अल्पसंख्यक स्वघोषणा"(जैसा कि अनुलग्नक 7 मे दिया गया है)।

9.10 स्काऊट/गाईड योग्यता की स्वप्रमाणित प्रतियां।

9.11 सक्रियता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रति (जैसा कि अनुलग्नक 8 मे दिया गया है)।

9.12 उपस्थित हुए आयोजनों के विवरण की स्वप्रमाणित फोटो प्रति (जैसा कि अनुलग्नक 9 मे दिया गया है)।

9.13 स्काऊट व गाईड प्रेसिडेंट/राष्ट्रपति पुरूस्कार/एचडब्ल्यूबी की स्वप्रमाणित फोटो प्रति।

9.14 "सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती) रेलवे भर्ती कक्ष,उत्तर पश्चिम रेलवे" जयपुर पर देय के पक्ष मे आहरित भारतीय पोस्टल आर्डर (**स्वप्रमाणित नही किया जाए एवं मूल प्रति लगावें**)।

10. अवैध आवेदनः

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे रेलवे भर्ती कक्ष को अपने आवेदन भेजने से पूर्व सभी अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले, अन्यथा, उनके आवेदन निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कारणों से निरस्त कर दिए जाएगें:–

10.1 ऐसे आवेदन पत्र जो रोजगार सूचना की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हो।

10.2 आवेदन प्रपत्र में पैसेज कॉपी न किया हो कैपिटल/ब्लॉक लेटर्स में कॉपी किया गया हो (अंग्रेजी में भरे गये आवदेन के मामले मे लागू)।

10.3 बिना हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र/बड़े अक्षरों (कैपिटल/ब्लॉक लेटर) में हस्ताक्षरों वाले आवेदन (अंग्रेजी में हस्ताक्षरित मामले मे लागू)।

10.4 आवेदन प्रपत्र पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान न लगाया हो/अस्पष्ट लगाया हो/मैला किया हुआ हो (स्मज्ड)।

10.5 अपेक्षित प्रमाण पत्रों के साथ जहां कहीं लागू हो कि स्व–सत्याापित फोटोस्टेट प्रतियां संलग्न न की गई हो.

(i) जन्मतिथि के लिए प्रमाणपत्र अर्थात, मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल परीक्षा या समकक्ष प्रमाणपत्र

(ii) शैक्षिक और/या व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र

(iii) अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र जिसमें अपिव के लिए क्रीमी लेयर सम्बन्धी स्व–घोषणा शामिल है।

(iv) दिव्यांग प्रमाणपत्र

(v) परीक्षा शुल्क की माफी हेतु आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारो द्वारा आय प्रमाण पत्र

(vi) परीक्षा शुल्क की माफी हेतु अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा अल्पसंख्यक स्व–धोषणा तथा शपथ पत्र नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर

(vii) रेलवे/सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपकम कर्मचारियो के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

(viii) स्काउटिग/गाइडिंग योग्यता प्रमाण पत्र

(ix) स्काउट/गाइड सकिय भागीदारी का प्रमाणपत्र अभी हाल के गत/पांच वर्षो में समय समय पर आयोजित शिविर

(x) उपस्थित आयोजनों/जम्बूरिया/एनआई शिविर/संगम, कम्पोरीज, सेवा परियोजना इत्यादि के प्रमाणपत्र।

(xi) राष्ट्रपति/प्रेसिडेन्ट अवॉर्ड/एचडब्ल्यूबी स्काउट एवं गाईड प्रमाण पत्र।

10.6 भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न न किया हो या कम शुल्क का संलग्न किया हो या अवैध आईपीओ अर्थात रोजगार सूचना के जारी करने की तिथि से पहले का कय किया हो.

10.7 पहचान चिन्ह कॉलम को खाली छोडा गया है।.

10.8 आवेदन की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित योग्यता न रखते हो.

10.9 अधिक आयु या कम आयु या जन्मतिथि न भरी हो या गलत भरी हो.

10.10 एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन भेजे हो/समान पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र भेजे गए हो।

10.11 बिना रंगीन फोटो के आवेदन पत्र या टोपी(स्काउट एवं गाईड की ड्रेस की टोपी भी मान्य नही होगी), चश्मा(सनग्लास) पहने सहित विरूपित जो पहचान योग्य न हो या स्कैन्ड या फोटोस्टेट प्रति वाले आवेदन पत्र.

10.12 जिन उम्मीदवारों का नाम वंचित की गई सूची में हो.

10.13 अधूरे/अस्पष्ट/अपठनीय आवेदन.

10.14 इस अधिसूचना में दिये गए निर्धारित प्रारूप में न होने वाले आवेदन.

10.15 अन्य रेलवे/आरआरसी के पते पर आवेदन

10.16 अंग्रेजी/हिन्दी भाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा में भरे आवेदन.

10.17 प्रमाण पत्रों की अनुदित प्रतियों के बिना आवेदन (यदि अंग्रेजी या हिन्दी में न हो).

10.18 कोई अन्य अनियमितताएं, जो आरआरसी द्वारा वैध के रूप में विचार की गई हो.

11. स्काउट एवं गाईड कोटा की भर्ती के लिए प्रकिया (दोनो लेवल के लिए)

उम्मीदवार, जो इस अधिसूचना के प्रत्युत्तर में आवदेन कर रहे है और यदि वे स्काउट एवं गाईड कोटा के लिए नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र पाये जाते है, तो उनको निम्नांकित मापदण्डों के आधार पर मूल्यॉकन किया जाए।

(अ)	लिखित परीक्षा	**60 Marks**
	लिखित परीक्षा में 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (40 अंक) के होगें तथा स्काउट एवं गाईड संगठन और इसकी गतिविधियों के सम्बन्ध में एक निबन्धात्मक प्रश्न होगा (20अंक) और लेवल–1 व लेवल–2 के लिए सामान्य ज्ञान/इसके लिए पाठ्यकम पैरा 12 के अनुसार होगा। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्क की जाएगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न के लिए आवंटित अंको का 1/3 भाग काटा जाएगा। लिखित परीक्षा द्विभाषिय होगी एवं लिखित परीक्षा की अवधि 60 मिनिट होगी।	
(ब)	प्रमाण पत्र के अंक	**40 Marks**
	(i) राष्ट्रीय आयोजनों/राष्ट्रीय जम्बूरी में की गई भागीदारी/सेवा (अखिल भारतीय रेलवे आयोजनों सहित)	**10 Marks**
	➢ पहले दो प्रमाण पत्र (अर्थात् न्यूनतम पात्रता योग्यता)	Nil
	➢ एक अतिरिक्त आयोजन	07 Marks
	➢ दो या अधिक अतिरिक्त आयोजन	10 Marks
	(ii) राज्य आयोजनों/रैलियों में की गई भागीदारी/सेवा	**10 Marks**
	➢ पहले दो प्रमाण पत्र (अर्थात् न्यूनतम पात्रता योग्यता)	Nil
	➢ एक अतिरिक्त आयोजन	07 Marks
	➢ दो या अधिक अतिरिक्त आयोजन	10 Marks
	(iii) राष्ट्रीय/राज्य/अखिल भारतीय रेलवे स्तर पर आयोजित विशिष्ट स्काउट एवं गाईड पाठ्यकम	**10 Marks**
	➢ एक अतिरिक्त आयोजन	07 Marks
	➢ दो या अधिक अतिरिक्त आयोजन	10 Marks
	(iv) जिला रैलियों मे भागीदारी	**10 Marks**
	➢ एक प्रमाण पत्र	Nil
	➢ दो प्रमाण पत्र	07 Marks
	➢ तीन प्रमाण पत्र	10 Marks
	योग	**100 Marks**

नोटः– लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषिय (हिन्दी एवं अंग्रेजी) होगा। उम्मीदवार किसी भी भाषा में उत्तर दे सकता है।

12. लिखित परीक्षा का पाठ्यकम (दोनों लेवलों के लिए)

स्काउटिंग/गाईडिंग का इतिहास, विधि व प्रतिज्ञा, संगठन जिला व राज्य स्तर, प्रशिक्षण केन्द्र, जिला व राज्य स्तर, पुस्तकों का ज्ञान, भारत के लडकों के लिए स्काउटिंग/लडकियों के लिए गाईडिंग, बांये हाथ मिलाने के सिद्वान्त, सलाम, प्रार्थना, ध्वज गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय व स्काउटिंग झण्डों की जानकारी, विभिन्न अवसरों पर सामाजिक सेवाएं, पदयात्रा, बैजों की दक्षता, यह कैसे प्राप्त किये जाते है? स्काउटिंग/गाईडिग के चरण, विचार दिवस, स्काउट/गाईड/रोवर/रेंजर का सतत् प्रशिक्षण, पायोरियरिंग (पथ प्रदर्शन), हस्तशिल्प, भारतीय रेलवे जम्बरी, राष्ट्रीय जम्बूरी, हवा में जम्बूरी।

राष्ट्रीय स्तर पर संगठन, राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र डब्ल्यूएजीजीएस/डब्ल्यूओएसएस, उपराष्ट्रपति पुरूस्कार प्रतियोगिता ,प्रधान मंत्री शील्ड प्रतियोगिता, समुदाय विकास कार्यकम, स्काउटिंग के लक्ष्य विधियां, बेहतर नागरिक बनाने के स्काउटिंग किसी तरह उपयोगी है।

13 चिकित्सीय उपयुक्तता:–

नियुक्ति हेतु अनुसांशित अभ्यार्थियों को रेलवे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित चिकित्सीय मानक में पद के अनुसार अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा पास करना होगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार पद से संबंधित डयूटी को करने के लिए चिकित्सा की दृष्टि से योग्य है। दृष्टि जॉच मानक रेलवे कर्मचारियों के चिकित्सा योग्यता हेतु महत्वपूर्ण मापदंड है।

नोट:– इन पदो के लिए परीक्षा में सफल लेकिन चिकित्सा जॉच में असफल उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में किसी भी वैकल्पिक पद हेतु नियुक्ति पर विचार नही कियां जाएगा।

14 <u>मंडल जिसके लिए भर्ती की जा रही है के चयन के लिए प्राथमिकता</u>:–

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पद नियुक्ति के लिए अपनी प्राथमिकता हेतु नीचे दिये अनुसार कोड को आवेदन पत्र के क्रम सं. 18 में भरे।

(केवल लेवल–1 के लिए लागू)

मंडल	अजमेर	बीकानेर	जयपुर	जोधपुर
कोड	1	2	3	4

15 किसे आवेदन करना है:–

आवेदन अपेक्षित दस्तावेजों सहित साधारण डाक से (कोरियर पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट स्वीकार नही किया जाएगा) **सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती) रेलवे भर्ती कक्ष, पॉवर हाउस रोड मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने जयपुर पिन कोड – 302006** को भेजे या रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर इस प्रयोजन के लिए रखे गये बॉक्स में डाले।

सभी दृष्टि से विधिवत पूर्ण आवेदन वाले लिफाफे पर लिखे " स्काउट और गाईड कोटा 2018–19 (लेवल–II) या (लेवल–I) के लिए आवेदन" जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन दे रहे है।

नोट:–यदि उम्मीदवार पात्र है तो लेवल–II व लेवल–I दोनो के लिए आवेदन कर सकता है "उम्मीदवार नोट करे कि लेवल–II और लेवल–I के लिए अलग–अलग आवेदन अगल अलग लिफाफे में आवेदन पत्र तथा लिफाफे पर यह स्पष्ट करते हुए कि आवेदन किस पद हेतु क़िया गया है और अलग–अलग फीस जमा करना होगा।"

16 आवेदन कैसे करे:–

16.1 सर्व प्रथम उम्मीदवार इस अधिसूचना में दिये गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और उनका अनुपालन करे।

16.2 अनुलग्नक– I के अनुसार आवेदन पत्र उम्मीदवार द्वारा अपनी हैण्ड राइटिंग में नीला या काला बॉल पॉइंट पेन (पेंसिल, फाउटेन पेन या जैल पेन से नही) से भरे जो विधिवत हस्ताक्षरित हो व अंगूँठा निशान लगा हो और तारीख लिखी हो। आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में रोजगार सूचना में दिये गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए भरे (अंतरराष्ट्रीय अंक 1, 2, 3 आदि का प्रयोग किया जाए) उम्मीदवार आवेदन पत्र में अंग्रेजी (Capital Letter में नही) या हिंदी में अपना सामान्य हस्ताक्षर करें।

16.3 उम्मीदवार का नाम, पता, पिन कोड सहित, जन्मतिथि, पिता का नाम और नजदीक के रेलवे स्टेशन को साफ–साफ अंग्रेजी के बोल्ड बड़े अक्षरों में लिखे जाए भले ही आवेदक आवेदन हिंदी में भरता हो।

16.4 फोटो ग्राफ:– बिना टोपी तथा सन ग्लास के उम्मीदवार के आगे का स्पष्ट चित्र 3.5X 3.5 से.मी. आकार के एक हाल ही रंगीन फोटोग्राफ (आवेदन करने की तिथि से तीन महीना से अधिक का नही हो) आवेदन पत्र में दिये गए स्थान पर चिपकाये/फोटोग्राफ की छाया प्रति अनुमेय नही है। दो अतिरिक्त उसी प्रकार (वही) के कलर फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे जिसमें फोटोग्राफ के पीछे उम्मीदवार का नाम लिखा हो/उम्मीदवार कृपया नोट करें कि रेलवे भर्ती कक्ष किसी भी स्टेज पर आवेदन पर पुराना/अस्पष्ट या उक्त निर्देशों से अन्यथा फोटोग्राफ चिपकाये जानें पर या आवेदन पत्र पर चिपकायें गए फोटो और उम्मीदवार के वास्तविक भौतिक सत्यापन में किसी भी महत्व पूर्ण भिन्नता की स्थिति में आवेदन को निरस्त कर देगा।

16.5 उम्मीदवार अपने शरीर के पहचान के लिए किसी भी स्पष्ट दृश्य चिन्ह आवेदन पत्र के मद सं. 19 में भरे/उदाहरण के लिए "नाक पर तिल नाक पर कटे चिन्ह ललाट पर कटे का चिन्ह या ठुडडी के नीचे दाग का निशान आदि" कोई दृश्य चिन्ह नही होने की स्थिति में "शून्य" लिखे यदि इस कॉलम को खाली छोड दिया जाता है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

16.6 उम्मीदवार आवेदन (मद सं. 25) में अपनी रनिंग हैंडराइटिंग में (Capital/ block खाली छोड़े शब्दों में नहीं यदि अंग्रेजी में भरा जा रहा हो) हिंदी या अंग्रेजी में इसके लिए दिये गए स्थान में घोषणा की कॉपी करे। अन्यथा उनके आवेदन अस्वीकार कर दिये जाएगे।

16.7 उम्मीदवार (पुरूष व महिला) आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने बॉये हाथ के अंगूठे का निशान लगाये अंगूठे का निशान स्पष्ट और पूरा होना चाहिए।

16.8 आवेदन जो अस्पष्ट, अपूर्ण, बिना हस्ताक्षर, Capital Letter मे हस्ताक्षरित, निर्धारित प्रपत्र में नहीं, उम्मीदवार के फोटो के बिना या उपयुक्त पैरा 16.4 में दिये गए हिदायतों के अनुसार नहीं होगा और रोजगार सूचना की अंतिम तारिख के बाद प्राप्त होगा, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17 विविधः

17.1 रेलवे भर्ती क्क्ष किसी भी चरण पर किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि आवेदन में कोई अनियमितता/कमी पाई जाती है।

17.2 रेलवे भर्ती कक्ष किसी भी चरण पर अतिरिक्त लिखित परीक्षा/प्रलेख सत्यापन संचालन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है आरआरसी बिना कोई कारण बताए रोजगार सूचना में अधिसूचित किसी भी वर्ग के लिए किसी भी चरण पर भर्ती प्रकिया के किसी भाग या समस्त को रद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

17.3 पात्रता, आवेदनो की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करना, झूठी सूचना के लिए शास्ति, चयन प्रकिया, लिखित परीक्षा का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवटंन आदि से संबंधित सभी मामलों में आरआरसी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में रेलवे भर्ती कक्ष द्वारा किसी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाऐगा।

17.4 अन्तिम चयनित उम्मीदवारों पर यदि अपेक्षित हुआ तो उत्तर पश्चिम रेलवे में कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है।

17.5 रेलवे भर्ती कक्ष किसी अनभिप्रेत गलती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

17.6 किसी विधिक विवाद के लिए, केवल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर का क्षेत्राधिकार होगा।

17.7 व्याख्या में किसी विवाद या कोई भूल की दशा में अंग्रेजी माध्यम को अंतिम माना जाएगा।

17.8 लेवल–2 और लेवल–1 में विशिष्ट कोटि तथा पद नियुक्ति का स्थान का निर्णय नामिका को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

17.9 भर्ती के सभी चरणों पर उम्मीदवार का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा जो अधिसूचना में निर्धारित पात्रता की शर्तो और निर्देशों के पूरा करने के अधीन होगा।

17.10 लेवल–2 और लेवल–1 के लिए अलग–अलग चयन आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की तारीख की घोषणा रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर की बेवसाईट पर www.rrcjaipur.in & www.nwr.indianrailways.gov.in अधिसूचित की जाएगी।

18 छदमरूपण/तथ्यों को दबाना/चेतावनी

18.1 किसी भी उम्मीदवार को चयन प्रकिया के किसी भी चरण पर छदमरूपण या छदमरूपक की सहायता लेने का प्रयास नही करना चाहिए, ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी/आरआरसी की सभी परीक्षाओं से जीवन भर के लिए वंचित करने के साथ–साथ रेलवे में नियुक्ति के लिए भी वंचित कर दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त उम्मीदवार के विरूद्व कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

18.2 किसी उम्मीदवार द्वारा परीक्षा में उपस्थित होने हेतु मुफ्त यात्रा सहित, पात्रता और/या सुविधाएं प्राप्त करने हेतु तथ्यों की सामग्री दबाना या जाली प्रमाणपत्र/जाति प्रमाण पत्र जमा करना उसका/उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, जिस भर्ती विशेष के लिए, उसने आवेदन किया है, इसके अतिरिक्त उसे देशभर में सभी आरआरबी/आरआरसी द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं से भी दो वर्ष की अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा और यदि उपयुक्त हुआ तो विधिक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।

18.3 उम्मीदवार को वर्णित अवधि/जीवनभर के लिए सभी आरआरबी/आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा, यदि (i) उसी पद और वर्ग के लिए विभिन्न समुदाय सहित बहुल आवेदन जमा किए हो. (ii) उसी पद और वर्ग के लिए विभिन्न फोटो (चेहरा) सहित बहुल आवेदन जमा किए हो और (iii) उसी पद और वर्ग के लिए विभिन्न प्रलेखों सहित उम्मीदवार ने बहुल आवेदन जमा किए हो.

चेतावनी::–दलालों और नौकरी ठगों से सावधान रहें, जो अपने प्रभाव या अनुचित और बेईमानी से रेलवे में नौकरी देने का गलत वायदा कर धोखा देने की कोशिश करते है। रेलवे भर्ती कक्ष ने अपनी ओर से ऐसा किसी भी एजेन्ट या कोचिग सेन्टर नियुक्ति नहीं कर रखा है। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति /एजेंन्सी बनाए जाने के दावों के खिलाफ सावचेत किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर होता है। कृपया ऐसे अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में ना फंसे। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रेलवे भर्ती कक्ष, को प्रभावित करने वालें उम्मीदवारों को अयोग्य करार कर दिया जाएगा और उनके विरूद कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

नोटः– उम्मीदवार आवेदन पत्र तथा अन्य विवरण डाउनलोड करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे की वेबसाइट www.rrcjaipur.in & www.nwr.indianrailways.gov.in से भी लॉगआन कर सकते है। भविष्य में किसी भी जानकारी या अद्यतन सूचना के लिए उम्मीदवार इस साईट पर जाएं।

संक्षिप्त शब्द :

1. अजा : अनुसूचित जाति
2. अजजा : अनुसूचित जनजाति
3. अपिव : अन्य पिछडा वर्ग
4. अना : अनारक्षित
5. रेभक : रेलवे भर्ती कक्ष
6. उपरे : उत्तर पश्चिम रेलवे
7. शा.वि. : शारीरिक विकलांग
8. वीएच : दृष्टि विकलांग
09. एचएच : श्रव्य विकलांग
10. ओएच : अस्थि विकलांग

अध्यक्ष/आरआरसी
उत्तर पश्चिम रेलवे

अनुलग्नक–1

रेलवे भर्ती कक्ष,
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

वर्ष 2018–19 के लिए स्काउट एवं गाईड कोटे के लिए आवेदन पत्र
(आवेदन पत्र भरने से पूर्व कृप्या अधिसूचना के अनुदेशो को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

यहां हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लगाएं

रोजगार सूचना सं. 02/2018 (एसएण्डजी/आरआरसी/एनडब्ल्यूआर)

सेवा में,

सहायक कार्मिक अधिकारी/भर्ती,
रेलवे भर्ती कक्ष, पावर हाउस रोड,
मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय के सामने, जयपुर 302006

1. लेवल–1 या लेवल–2 के लिए आवेदन किया गया ....
(कृप्या अगल अगल आवेदन पत्र भरे यदि आप दोनो लेवलों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं)

2. उम्मीदवार का नाम (अग्रेजी के बड़े अक्षरों में) ....

3. पिता/पति का नाम (अग्रेजी के बड़े अक्षरों में) ....

4. निकटतम रेलवे स्टेशन ....

5. पत्राचार का पता (अग्रेजी के बडे अक्षरों में)

6. लिंग .... (पुरूष/स्त्री)

7. नागरिकता ....

8. धर्म : ....

9. वैवाहिक स्थिति .... (अविवाहित/विवाहित)

10. ई–मेल ....

11. मोबाईल नं. ....

12. जन्मतिथि ..../........../.......... (दिन/माह/वर्ष)

13. समुदाय(अना/अजा/अजजा/अपिव) ....

14 आयु (01.01.2019 को).............वर्ष ....माह .... दिन

15. अल्पसंख्यक ....

16. शुल्क विवरण:–आईपीओ नं. .... दिनांक .... राशि रू. ....

17. शुल्क वापसी:–हां/नहीं
यदि हां तो टीक करें (अजा/अजजा/महिला/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/अल्पसंख्यक एवं आर्थिक पिछडा वर्ग)

17.1 शुल्क रियायत के लिए बैंक अकाउन्ट विवरण:–
अकाउन्ट नम्बर .... आईएफएससीकोड ....
बैक का नाम .... ब्रांच ....

18. मंडल की प्राथमिकता
(अधिसूचना के पैरा 14 देखें) (केवल लेवल– 1 के लिए)

प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ

19. दृष्टयागत शरीर पर चिन्ह
(भराना जरूरी है, यदि कोई चिन्ह नहीं है तो 'निल' लिखें)

1 2

20. शैक्षणिक योग्यता

पास परीक्षा	पास करने का वर्ष	स्कूल/बोर्ड/विश्वविद्यालय	अंको की प्रतिशतता	श्रेणी/डिवीजन

अनुलग्नक–। लगातार अगले पृष्ठ पर

21. स्काउटिंग एवं गाईडिंग योग्यता

पुरूस्कार का नाम	वर्ष	प्रमाणपत्र सं.	तिथि

22. हाल के गत कम से कम पांच वर्षो में ग्रुप के सदस्य

ग्रुप का नाम	धारित पद/रैंक	तिथि		वारंट नं. (यदि कोई हो) और तिथि
		से	तक	

(विशिष्ट टिप्पणीः–हाल ही गत 05 वर्षो की गतिविधियों के बारे में प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी, जोकि स्काउटविंग के लिए राज्य/जिला आयुक्त(स्काउट) द्वारा एवं गाइडविंग के लिए राज्य/जिला आयुक्त (गाइडस) द्वारा यथा प्रमाणित रहेगी, सकिय सदस्यता प्रमाण पत्र अनुलग्नक–8 में भेजना चाहिए)

23. अटेंडेंट कार्यकमः अनुलग्नक–9 के अनुसार भेजने चाहिए
(विशिष्ट टिप्पणीः–उक्त कार्यकमों की फोटो प्रति सत्यापित कर संलग्न करनी होगी।)

24 उपयुक्त कॉलम टिक करें यदि लागू हो (दावे के समर्थन में प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करें):–

भूपूसै	दिव्यांग			विधवा/तलाकशुदा /न्यायिक रूप से पृथक	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	सेवारत रेल कर्मचारी	रेलवे के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय का स्टाफ	जम्मू और कश्मीर के निवासी
	अवि	दृवि	श्रवि					

25. अपनी घसीट लिपि में कृपया नीचे प्रदत्त स्थान में निम्नलिखित घोषणा की कॉपी करें।
मैं एतद्दारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उक्त दिए गए सभी विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है। मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा भेजी गई किसी भी सूचना के किसी भी चरण पर झूठा/गलत पाए जाने की दशा में मेरी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और मै आपराधिक कार्यवायी के लिए भी उत्तरदायी होउगा/होउगी। मै अधिसूचना में दिए गए अनदेशों का पालन करूगा/करूगीं।

....

....

....

....

इस बॉक्स में उम्मीदवार बाएं हाथ का अंगुठें का निशान लगाए ⟹

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
(बड़े अक्षरों में नही, यदि हस्ताक्षर अंग्रेजी मे किए हो)

दिनांक ....स्थान ....

उम्मीद्वार को सक्षम प्राधिकारी से उचित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र हासिल कर सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । ऐसा नहीं कर पाने पर उसे अयोग्य, ठहराया जा सकता है । इसका (भारत सरकार के कार्मिक, जनशिकायतें, पेंशन और कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित) विवरणिका के अध्याय 13 के अनुरूप होना अत्यंत अनिवार्य हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उम्मीद्वार निर्धारित निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए ऐसे अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश करते हैं जिन्हें सक्षम प्राधिकारी नहीं माना गया है ।

अनुलग्नक–2

अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप :–

1. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप :–**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/*श्रीमती/*कुमारी .... *पुत्र/*पुत्री (पिता का नाम) .... जो .... *गांव/भाहर .... जिला/मंडल .... राज्य/संघ क्षेत्र के रहने वाले हैं, ... जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जो निम्नानुसार अनुसूचित जाति/जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(1) *संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश –1950

(2) *संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश –1950

(3) *संविधान (अनुसूचित जाति)(संघ क्षेत्र) आदेश –1951

(4) *संविधान (अनुसूचित जन जाति)(संघ क्षेत्र) आदेश –1951, अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जन जाति सूची परिशोधंन आदेश –1956, मुम्बई पुर्नगठन अधिनियम–1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम–1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम–1970, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम–1971, एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

(5) *संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश , 1956,

(6) *संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश , 1956 ।

(7) *संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश –1959, अनुसूचित जाति एवं जन जाति आदेश , 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

(8) *संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश –1962

(9) *संविधान (दादर एवं नगरहवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश –1962

(10) *संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश –1964

(11) *संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश –1967

(12) *संविधान (गोवा,दमण एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश –1968

(13) *संविधान (गोवा,दमण एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश –1968

(14) *संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश –1970

(15) *संविधान (सिक्कम) अनुसूचित जाति आदेश –1978

(16) *संविधान (सिक्कम) अनुसूचित जन जाति आदेश –1978

(17) *संविधान (जम्मू एवं क मीर) अनुसूचित जन जाति आदेश –1989

(18) *संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम–1990

(19) *संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश–1991

(20) *संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश–1991

(21) *संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश–1996

2. उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से संबंधित व्यक्तियों के मामले में आवेदन–पत्र जो एक राज्य /संघ भाासित प्रदेशों से अन्यत्र विस्थापित हुए हैं –

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से संबंधित यह प्रमाण–पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/माता का नाम .... निवासी जिला/मंडल .... राज्य/संघ क्षेत्र के रहने वाले हैं .... और जो ....जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे .... राज्य/संघ क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

जारीकर्ता ....(निर्धारित प्राधिकारी का नाम) द्वारा पत्र सं. .... दिनांक .... के तहत् जारी किया गया है ।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी .... और उसका परिवार साधारणतः .... गांव/शहर .... जिला/मंडल .... राज्य/संघ क्षेत्र .... के निवासी हैं ।

स्थान .... हस्ताक्षर .... दिनांक .... पदनाम(कार्यालय की मुहर सहित)

(*) कृपया जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें । विशिष्ट राश्ट्रपति आदेशों का उल्लेख करें । जो अनुच्छेद लागू न हो, उसे काट दें ।

टिप्पणी – **"साधारणतः निवासी"** का अर्थ यहां वही है, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 की धारा 20 में उल्लेखित है ।

अनुलग्नक–3

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण–पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .... जिला/मंडल/.......................................ग्राम/शहर .... के निवासी हैं जो ....समुदाय के है जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के दिनांक .... के संकल्प संख्या .... क अन्तर्गत पिछडे वर्ग के रूप मे मान्यता प्राप्त है। * श्री/श्रीमति/कुमारी .... तथा उनका परिवार समान्यतया .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .... जिला/मंडल के निवासी है। यह प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93–स्थापना(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गो (नवोन्नत वर्ग) की श्रेणी से सम्बन्धित नहीं है। **

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि

दिनांक :

मुहर :

*प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के ब्योरों का उल्लेख करना है जिसमें उम्मीदवार की जाति का अन्य पिछडा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।

** समय–समय पर यथासंशोधित

टिप्पणी – यह प्रयुक्त शब्द **''सामान्यतया''** का वही अर्थ होगा जो अर्थ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 की धारा 20 मे है ।

अनुलग्नक–5

पत्र सं. ई(आरआरबी)/2009/25/21, दिनांक 2810.2009 के पैरा–3 के तहत जारी आय प्रमाण पत्र का प्रफॉर्मा : रेलवे भर्ती कक्ष, परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आय प्रमाण पत्र

1 उम्मीदवार का नाम
2. पिता का नाम
3. आयु
4. घर का पता
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों एवम अंकों में)
6. जारी करने की तारीख
7. हस्ताक्षर

नाम

8. जारीकर्ता की मोहर

नोट–आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग से तात्पये वे उम्मीदवार होंगे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 50000 रू से कम है। आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग की पहचाने के लिए वार्षिक आय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं–

अ. जिलाधीश अथवा अन्य कोई राजस्व अधिकारी जो इनके स्तर का हो या तहसीलदार।
ब. उम्मीदवार अपने ही वर्तमान सांसद जो उनके संसदिय क्षैत्र से चुने गये है।
स. बीपीएल कार्ड धारक या भरत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के प्रोग्राम के तहत अन्य कोई प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा आईजेडजेडएटी एमएसटी जारी की गई हो।
द. यूनियन मंत्री द्वारा देश के किसी भी रेलवे भर्ती कक्ष को देश के किसी भी उम्मीदवार के लिए सिफारिश करे।
य. वर्तमान राज्यसभा सांसद द्वारा अपने संसदिय क्षैत्र के किसी उम्मीदवार के लिए सिफारिश की हो।

अनुलग्नक–4

अपिव उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली गैर क्रीमीलेयर घोषणा

आवेदन पत्र के साथ अन्य पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली घोषणा हेतु प्रपत्र

मैं .... ग्राम / शहर / नगर ....जिला .... राज्य .... के निवासी श्री ....के पुत्र / पुत्री द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि मैं .... (उपजाति लिखें) समुदाय के सम्बन्धित हूं, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा. सं. 36012 / 22 / 93–स्था (एससीटी) में दिए गए आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा पिछडा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषणा की जाती हैं कि मैं दिनांक 08.09.1933 के कार्यालय ज्ञापन और दिनांक 09.03.2004 के का.ज्ञा. सं. 36033 / 3 / 2004–स्था (निवास) में दी गई अनूसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट व्यक्ति / सेक्शन (क्रीमीलेयर) से सम्बन्धित नहीं हुं।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
उम्मीदवार का नाम

अनुलग्नक–6

दिव्यांग उम्मीदवारों (अक्षमता या विकलांग) के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र

MEDICAL CERTIFICATE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (PWD)

NAME AND ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

DISABILITY CERTIFICATE

Certificate No. .... Date : ....

Paste here your recent colour photograph showing the disability (the photograph should be attested by the Chairperson of the Medical Board)

Signature of the candidate in the above box below the photograph

1. This is certified that Smt/Shri/Kum...................................son/daughter of Shri...................................age ...., sexMale/Female having identification marks as below ....

....

is suffering from permanent disability of following category :

A. Locomotor or cerebral palsy:

(i) BL- Both legs affected but not arms.

(ii) BA- Both arms affected — (a) Impaired reach (b) Weakness of grip.

(iii) OL- One leg affected (right or left) — (a) Impaired reach . (b) Weakness of grip (c) Ataxic

(iv) OA- One arm affected (right or left) — (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic

(v) BH- Stiff Back and hips (cannot sit or stoop)

(vi) MW- Muscular Weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

(i) B- Blind (ii) PB- Partially Blind

C. Hearing Impairment:

(i) D- Deaf (ii) PD-Partially Deaf.

(Delete the category which is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended / is recommended after a period of .... year .... Months.

3. Percentage of disability in his / her case is .... Percent.

4. Smt./Shri/Kum.................. meets the following physical requirement for discharge of his/her duties.

(i) F-can perform work by manipulating with fingers	Yes	No
(ii) PP-can perform work by pulling and pushing	Yes	No
(iii) L--can perform work by lifting	Yes	No
(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching	Yes	No
(v) B-can perform work by bending	Yes	No
(vi) S-can perform work by sitting	Yes	No
(vii) ST-can perform work by standing	Yes	No
(viii) W-can perform work by walking	Yes	No
(ix) SE-can perform work by seeing	Yes	No
(x) H-can perform work by hearing speaking	Yes	No
(xi) RW-can perform work by reading and writing	Yes	No

(Signature of Doctor)	(Signature of Doctor)	(Signature of Doctor)
Name:	Name:	Name:
Registration No.:	Registration No.:	Registration No.:
Member Medical Board	Member Medical Board	Chairperson Medical Board

* Please delete the words which are not applicable

Place :

Date :

Counter Signature of the Medical Superintendent/DMO/Head of Hospital (with seal)

Note : (i) According to the Person with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation) Rules, 1996 notified on 31.12.1996 by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), authorities to give disability Certificate will be a Medical Board duly constituted by the Central or the State Government. The State Government may constitute a Medical Board consisting of at least three members out of which at least one shall be a mental retardation and leprosy cured, as the case may be.

(ii) The certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. For those who acquired permanent disability, the validity can be shown as permanent.

अनुलग्नक–7

अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रफॉर्मा संलग्न करना चाहिए

घोषणा

मैं, ... पुत्र/पुत्री श्री ....
निवासी मौहल्ला ....ग्राम/कस्बा..शहर/जिला.......................राज्य ....
..................यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ....समुदाय का सदस्य हूँ (केन्द्रिय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई अल्पसंख्यक समुदाय की सूचि में वर्णित मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/पारसी/ जैन अंकित करें)

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
उम्मीदवार का नाम

नोट–दस्तावेज सत्यापन के दौरान उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क में छूट के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा का नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अल्पसंख्यक समुदाय जो केन्द्रिय सरकार द्वारा जारी अल्पसंख्यकों की सूचि में वर्णित मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/पारसी/जैन का सदस्य है।

अनुलग्नक–8

सकियता प्रमाण पत्र (एक्टिवनेस का प्रमाण पत्र)

घोषणा

सर्टीफिकेट नम्बरः–......................................

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... (नाम) ....राज्य/जिला एसोशियशन के साथ विधिवत् पंजीकृत राज्य/जिला/डिवीजन .... ग्रुप .... का .... वर्ष से सकिय सदस्य है।

तिथि ....

कार्यालय मोहर

(नाम और हस्ताक्षर)
ग्रुप लीडर(एस/जी)

(नाम और हस्ताक्षर)
डीओसी(एस/जी)

(नाम और हस्ताक्षर)
डीसी (एस/जी)

अनुलग्नक–9

समारोह में भागीदार का विवरण

आवेदक का नाम ....

क्रम स.	समारोह का नाम	स्थान	तिथि	
			से	तक
राष्ट्रीय कार्यक्रमो/राष्ट्रीय समारोह (अखिल भरतीय रेल कार्यक्रमों सहीत) में भागीदारी/दी गई सेवा				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
राज्य स्तरीय कार्यक्रमों/रैलियों में भागीदारी/दी गई सेवा				
1				
2				
3				
4				
5				
राष्ट्रीय/राज्य/अखिल भारतीय रेलवे स्तर पर आयोजित विशिष्ट स्काउटस्/गाईडस पाठ्यक्रम				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
जिला रैलियो में भागीदारी				
1				
2				
3				
4				
5				

(नोट विशिष्ट पाठयक्रम/स्टैडर्ड जजिंग कैम्पस राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने चाहिए और प्रमाण पत्र भी राज्य/राष्ट्रीय एचक्यू द्वारा जारी होना चाहिए)

उपरोक्त चाही गई सूचना मैने सही भरी है, यदि ये किसी भी समय गलत पाई जाती हैं तो मेरी पात्रता निरस्त की जा सकती है

दिनांक ....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान ....